न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 33/2019 (2019/00045)

श्री नाथू पुत्र भूरा माली निवासी मालियों का नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रामस्वरूप पुत्र गोपाल
2. रामकन्या पत्नि भैरूलाल
3. शिवराज पुत्र भैरूलाल
4. गलकू पत्नि ज्वारा
5. पानी पुत्री गोपाल
6. मनभरी पुत्री गोपाल
7. मोहनलाल पुत्र ज्वारा
8. राजू पुत्र ज्वारा
9. शंकरलाल पुत्र ज्वारा
10. सीता पुत्री ज्वारा
11. काना पुत्र रामकरण
    तमाम जाति माली निवासी मालियों का नयागांव तहसील सावर जिला अजमेर ।
12. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी मूलतः ग्राम मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर का निवासी है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बालापुरा** की जमाबन्दी संवत **2071–74** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
116–113	551	0.10	चाही उत्तम
	कुल किता 1	रकबा 0.10 है.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थी आज से चार–पांच महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 11 को अपनी खातेदारी की आराजीयात में बाड करने से मना किया तो नहीं माने व प्रार्थी से लडाई झगडा पर उतारू हो गये। दिनांक 12.2.19 को प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर गया तब विवाद हुआ। इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थीगण को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम मेहरूकला की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या नया पुराना 116–113 खसरा नम्बर 551 रकबा 0.10 हे. चाही उत्तम की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को केम्प मेहरूकंला मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner